राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांकः प.8(12)राज/वाद/24 जयपुर, दिनांक 19-5-2025

:: आदेश ::

दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत श्री दिनेश चन्द्र बापना, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/628/1997) को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, गंगापुर जिला भीलवाड़ा में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, गंगापुर जिला भीलवाड़ा के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 21,200/– प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्री विष्णु लाल सुवालका, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, गंगापुर जिला भीलवाड़ा को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

Sd
(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
3 विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
8 संबंधित न्यायालय।
9 संबंधित जिला कलक्टर।
10 संबंधित कोषाधिकारी।
11 संबंधित अभियोजक।
12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
13 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर से राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
14 रक्षित पत्रावली।

19/5/25
(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि